बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय (पटना विश्वविद्यालय, पटना को छोड़कर) अन्तर्गत संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों/संबद्धता हेतु आवेदित डिग्री महाविद्यालयों के सचिव/प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 4660/2017 में दिनांक 26.04.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम मेंससमय संबद्धता प्रदान करने हेतु आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–24 से संबंधन प्रस्ताव को ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

इस हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) अन्तर्गत विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2021–24 के लिए संबद्ध डिग्री महाविद्यालय एवं संबंधन के लिए प्रस्तावित संस्था द्वारा संबंधन के लिए विश्वविद्यालय में आवेदित प्रस्ताव एवं संगत अभिलेख/दस्तावेज को ऑनलाईन प्रक्रिया अन्तर्गत विभाग के बेवसाईट (https://state.bihar.gov.in/educationbihar/CitizenHome.html) पर Important Link Section के अन्दर College Affiliation Portal या https://www.cabihar.com पर दिनांक 26.12.2020 तक संबंधित महाविद्यालय द्वारा यथा स्थिति अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त बेवसाईट के College Affiliation Portal पर विश्वविद्यालय में आवेदित आवेदन (संलग्न अभिलेख सहित) को अपलोड नहीं किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय से प्राप्त संबंधन प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के तकनीकी पृच्छा के समाधान हेतु श्री सौरभ सिन्हा, MIS & Analytics Cell Lead शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के मोबाईल नं0–9004660722 एवं ईमेल आई0डी0 bvm-mis-art@bihar.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

17/12/2020

(सतीश चन्द्र झा)
सरकार के विशेष सचिव।

d:\work 2020\letter 2020.doc

Scanned with CamSca

पत्रांक–15/एम1–97/2020...2179.

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सतीश चन्द्र झा,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय, बिहार,
(पटना विश्वविद्यालय, पटना को छोड़कर)।

पटना, दिनांक 17.12.2020.

विषयः– विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–24 के लिए आवेदित संबंधन प्रस्ताव को ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से निस्तारण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिका संख्या 4660/2017 में दिनांक 26.04.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ससमय संबंधन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाना है।

आपके विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों एवं संबद्धता हेतु आवेदित संस्था के आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–24 के संबद्धता हेतु आवेदित संबंधन प्रस्ताव को ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस हेतु M/S Intergrated Info Tech & Consultancy Services Pvt. Ltd, Patna नामक एजेन्सी के द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपर्युक्त प्रक्रिया का Demo दिनांक 14.12.2020 को RUSA के सभागार में आपके उपस्थिति में प्रदर्शित भी किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में अपने विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2021–24 के संबंधन के लिए आवेदित डिग्री महाविद्यालयों एवं संबद्धता हेतु प्रस्तावित संस्था को अपने स्तर से निदेशित किया जाय कि–आवेदित प्रस्ताव के साथ संगत अभिलेख एवं दस्तावेज को ऑनलाईन प्रक्रिया अन्तर्गत विभाग के बेवसाईट **(https://state.bihar.gov.in/educationbihar/CitizenHome.html)** पर **Important Link Section** के अन्दर **College Affiliation Portal** या **https://www.cabihar.com** पर दिनांक 26.12.2020 तक उक्त सत्र के लिए विश्वविद्यालय में संबंधन के लिए आवेदित आवेदन एवं संलग्न अभिलेख को संबंधित

Scanned with CamSca

महाविद्यालय द्वारा यथास्थिति अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु महाविद्यालय/संस्था द्वारा उक्त बेवसाईट के **College Affiliation Portal** पर विश्वविद्यालय में आवेदित आवेदन (संलग्न अभिलेख सहित) को अपलोड नहीं किये जाने की स्थिति में, विश्वविद्यालय से प्राप्त संबंधन प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित हितबद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं को इस आशय की सूचना हेतु प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जा रही है।

उक्त प्रक्रिया के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन एवं विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार यथा– नव शिक्षण एवं संबंधन कार्यक्रम समिति, एकेडमीक कॉन्सिल, अभिषद् एवं अधिषद् में लिए गए निर्णय की कार्यवाही की प्रति के साथ स्पष्ट प्रस्ताव/अनुशंसा पत्र को दिनांक 15.01.2021 तक उक्त पोर्टल पर अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी (सभी अनुलग्नकों सहित) निदेशालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार के तकनीकी पृच्छा के समाधान हेतु श्री सौरभ सिन्हा, MIS & Analytics Cell Lead शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के मोबाईल नं0–9004660722 एवं ईमेल आई0डी0 bvm-mis-art@bihar.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

17/12/2020

(सतीश चन्द्र झा)

सरकार के विशेष सचिव।

Scanned with CamSca